उत्तराखण्ड सूचना आयोग
देहरादून उत्तराखण्ड

अपील अंतर्गत धारा 19(3)सू.क.अधि.अधिनियम, 2005 उत्तराखण्ड

समक्षः श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

अपील संख्या A(D)-19356/2015

अपीलकर्ता : श्री वी0के0 सैनी, सी–ब्लॉक लेन नम्बर – 03, मंदाकिनी विहार, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

बनाम

प्रतिवादी :

1- लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, गली नंम्बर – 11, राजेन्द्र नगर, देहरादून, उत्तराखण्ड।

2- विभागीय अपीलीय अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, गली नंम्बर – 11, राजेन्द्र नगर, देहरादून, उत्तराखण्ड।

आदेश

अपीलार्थी उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, गली नंम्बर – 11, राजेन्द्र नगर, देहरादून, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि श्री एल0के0 अग्रवाल, सहायक अभियन्ता, उपस्थित हैं। विभागीय अपीलीय अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, गली नंम्बर – 11, राजेन्द्र नगर, देहरादून, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि श्री कैलाश नौडियाल, प्रधान सहायक उपस्थित हैं।

2. सूचना के लिए अनुरोधकर्ता द्वारा दिनांक 21.07.2014 को सूचना के लिए अनुरोध पत्र से लोक सूचना अधिकारी/सहायक अभियन्ता, देहरादून शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून से 03 बिन्दुओं पर सूचना मांगी । उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में देहरादून नगर में सहस्त्रधारा रोड पर स्थित अमन विहार एवं मन्दाकिनी विहार सी ब्लॉक लेन – 01, 02, 03 क्षेत्रवासियों को पीने योग्य नलकूप का पानी उपलब्ध कराने हेतु अमन विहार में नलकूल छिद्रण एवं ओ.एच0टी0 निर्माण कराने के लिए धनराशि रू0 247.22 लाख की कार्य योजना आगणन स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया है। उक्त प्रकरण से संबंधित बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी है। दिनांक 21.08.2015 को लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को धारित सूचनायें जो उनके कार्यालय में उपलब्ध थी, उपलब्ध करा दियी गयी है।

3. यह पेयजल योजना स्वीकृति की कार्यवाही में प्रस्ताव शाखा के अंतर्गत तैयार करके अधीक्षण अभियन्ता के माध्यम से पेयजल निगम के मुख्यालय पर प्रेषित होता है। पेयजल निगम के मुख्यालय द्वारा उसे आवश्यक परीक्षण करके और उसमें यदि कोई कमी है तो उसे सुधार कराकर के शासन को धनाबंटन व प्रशासनिक स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाता है। अपीलार्थी जो जानना चाहते हैं, उसमें सूचनायें जो शाखा स्तर पर धारित हैं, जो अधीक्षण अभियन्ता स्तर पर तथा जो शासन में धारित है वह हैं । ऐसी दशा में अपीलार्थी को जो सूचना शाखा में थी

उपलब्ध`करायी जा चुकी है ।अन्य किसी कार्यालय की सूचनायें यदि वह चाहते हैं तो संबंधित कार्यालय से सूचनायें प्राप्त कर सकते हैं। उपस्थित प्रतिनिधि विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस पेयजल परियोजना को स्वीकृति के लिए शासन को दिनांक 01.02.2016 को ''अमृत'' कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत किये जाने के लिए भेजा गया है। दिनांक 01.02.2016 का पत्र जिसके द्वारा परियोजना स्वीकृति के लिए भेजी गयी है, उसका पूर्ण विवरण अपीलार्थी को उपलब्ध करा दिया जाए ताकि वह इस परियोजना की स्वीकृति के संबंध में शासन स्तर पर धारित सूचना के इच्छुक हों तो वह वहां संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं।

4. द्वितीय अपील में सूचना उपलब्ध कराने का कोई बिन्दु शेष नहीं है। द्वितीय अपील को उक्तानुसार खण्डित करते हुए निस्तारित की जाती है तथा निक्षेपित की जाती है।

आदेश की एक प्रति उभय पक्ष को प्रेषित की जाए।

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

दिनांकः 04.01.2016

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
राज्य सूचना आयुक्त